भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2198
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रिटेन के आव्रजन प्रतिबंधों का प्रभाव

2198. **श्री कुंदुरु रघुवीर:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के नए आव्रजन प्रतिबंधों ने भारतीयों के लिए कार्य वीज़ा में कमी लाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वास्थ्य देखरेख कर्मियों और आईटी पेशेवरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या संशोधित आवागमन समझौतों पर बातचीत चल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाड़ी देशों में कर्मकारों के लिए संरक्षा और शिकायत तंत्र क्या हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क और ख) यूनाइटेड किंगडम (यूके) की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में पूर्ण प्रवास को कम करने के लिए 2024 से नीतिगत परिवर्तन किए हैं। कुशल कामगार और स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यकर्ता वीजा मार्गों को लक्षित करने वाले सबसे हाल ही के नीतिगत परिवर्तनों की घोषणा आप्रवासन श्वेत पत्र में की गई थी और 22 जुलाई 2025 को लागू की गई थी। इन नीतिगत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ-साथ आईटी पेशेवरों को कम कार्य वीजा जारी किए गए हैं।

यूके होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 को समाप्त वर्ष में, जारी किए गए स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वीजा की कुल संख्या 67% घटकर 16,606 हो गई; नर्सिंग पेशेवरों को जारी वीजा 79% घटकर 2,225 हो गई; आईटी पेशेवरों के लिए जारी वीजा 20% घटकर 10,051 हो गया।

(ग) भारत और यूके द्वारा मई 2021 में प्रवासन एवं आवाजाही सहभागिता करार (एमएमपीए) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। दोनों पक्ष कुशल आवाजाही के मुद्दे के साथ-साथ अवैध प्रवास पर भी संपर्क जारी रखे हुए हैं। एमएमपीए के तहत युवा पेशेवर योजना, भारतीय युवा पेशेवरों (18 से 30 वर्ष के बीच) को दो वर्ष तक ब्रिटेन में तथा इसी प्रकार ब्रिटेन के युवा पेशेवरों को भारत में रहने और काम करने के लिए वीजा मार्ग प्रदान करती है। इसके अलावा, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार करार (सीईटीए) में आपसी मान्यता और पेशेवर आवाजाही के प्रावधान शामिल हैं। यह करार यूनाइटेड किंगडम की संसद में अनुसमर्थन प्रक्रिया के तहत है।

(घ) भारत सरकार विदेशों में भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यदि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता होती है तो दूतावास / कोंसलावास तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित चैनल हैं। वे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एमएडीएडी / सीपीग्राम्स / ई-माईग्रेट और सोशल मीडिया आदि जैसे शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से दूतावास / कोंसलावास से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे देशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में ऐसे मामलों को संभालने के लिए समर्पित श्रम विंग हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कामगार हैं। भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, रियाद और जेद्दा जैसे प्रमुख स्थानों पर

प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय मिशन/केंद्र ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधिका निवारण करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविरों का आयोजन करते हैं। प्रवासी द्वारा या उसकी ओर से शिकायत प्राप्त होने पर, इस मुद्दे को संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ सक्रिय रूप से उठाया जाता है और यदि अपेक्षित हो तो, पीड़ित कामगार के कार्य स्थल का भी दौरा किया जाता है। रोजगार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ भी उठाया जाता है। इसके अलावा, महिला कामगारों (घरेलू क्षेत्र के कामगारों सहित) की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य अधिसूचित ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार हेतु ईसीआर श्रेणी की पासपोर्ट धारक भारतीय महिला कामगारों की भर्ती के लिए केवल राज्य संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को अधिकृत किया है। इसके अलावा, अधिसूचित ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार हेतु ईसीआर श्रेणी पासपोर्ट धारक महिला कामगारों के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 30 वर्ष है, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके। दूतावास/कोंसलावास समय-समय पर भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करता है ताकि संकट में पड़े भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों के आधार पर वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान की जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, प्रमुख सहायता में भोजन एवं आवास, भारत के लिए हवाई यात्रा, विधिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत में पार्थिव अवशेषों का परिवहन, तथा छोटे जुर्माने और दंड का भुगतान शामिल है।

*****